| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 04/03/24 | 1 अधिवक्ता वादी एवं प्रति० तहसीलदार सोजत ने मौका / तदनुदेयति रिपोर्ट पेश की, सा० मि० है। प्रति दस्त अकाट शब्द पेश किया, सा० मि० है। उभय पक्ष शहादत पेश नहीं कर तर्कादिकी शादन से बाद डिक्री हेतु इस्तगा की। शहादत वादी बन्द की जाकर मसलहती में बहस कहुनाय सुनी गई। | |
| | 2 प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:- वादी द्वारा शपथ बाद विरुद्ध प्रतिवादी u/s 88 R.T. Act 1955 R/w धारा 136 L.R. Act 1956 का पेश किया। अधिवक्ता वादी ने निवेदन किया कि सरस्द मौजा ग्राम आलवाड़ के खसरा संख्या 336, to 339 कुल खसरा 04 कुल रकबा 7.9700 हेक्टेयर भूमि भूमि हुई दिखाई है सभी अनुक्रम आलवाड़ के ग.न.य. नं० 499/2 से 499/3, 500/2, 500/4, 501 कुल खसरा 5 कुल रकबा 3.3400 हेक्टेयर तथा ग.न.य. नं० 496, 497 कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.2600 हेक्टेयर भी भूमि हुई दिखाई है। इस दर्ज भूमि में वादी का नाम सुखराम पुत्र नराणीराम दर्ज है। इसके आगे दिखाई ग.न.य. 410, रकबा 0.1500 है० तथा ग.न.य. 543 रकबा 4.1300 हेक्टेयर में भी वादी का नाम सुखराम व नराणीराम दर्ज है वादी के पिता नराणीराम के देहान्त उपरान्त परन्तु नाम सुखाराम व सुखाराम दर्ज कर दिया गया। वादी का सही नाम सुखराम है इस प्रकार बाद पेश कर कब्जा दर्ज भूमि में वादी का सही एवं वास्तविक नाम सुखराम व सुखाराम के स्थान पर सुखराम पुत्र नराणीराम दुरस्त इन्द्राज किये जाने की इस्तगा की है। | उपखण्ड अधिकारी, सोजत (पाली) |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | |
|---|---|---|

इस तथ्य पर विचार से इलाहाबाद राज्य बनाकर वाद्य वृद्धि किये मुकदमा में विपक्ष संख्या शामिल किया। मेरा पेश स्वयं वादि अपना मंतव्य कथन व अन्य बहस मौखिक बिना आधार है।

3 तत्पश्चात तहसीलदार ने मौके की मुआयना से रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट अनुसार व मौका की अनुसार खुशदेव पुत्र नरसिंहदास आसामी हैसियत में दुरुस्त किया जाना उचित ठहराते हुए मुकदमा की है।

4 बहस अधिवक्ता वादी एवं तहसीलदार मौजूद सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने मौके मुताबिक अनुसार ग्राम अलवाड़ के वादिगण वादी की वृद्धि आदि में अन्दाज गलत नाम सुखराम व सुख राम के स्थान पर खुशदेव किये जाने का निवेदन किया। बजाय बहस में तहसीलदार मौजूद ने कोई इजाफा नहीं बिना पेश किया।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद, जवाब अर्थात पत्र, तहसीलदार मौजूद की रिपोर्ट, फरीकेन द्वारा दस्तावेज का अध्ययन कर बहस बिन्दुवार पर गौर कर मनन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत एवं तहसीलदार मौजूद की रिपोर्ट अनुसार वादी का सही नाम खुशदेव पुत्र नरसिंहदास होना पाया जाता है।

6 अतः आदेश दिया जाता है कि बरहद मौजा ग्राम अलवाड़ के वर्तमान खसरा नम्बर 936, से 339, 499/2, 499/3, 500/2, 500/4, 501, 496, 497, 410, एवं 343 की वृद्धि आमे में दर्ज सुखराम पुत्र नरसिंगराम, एवं सुखराम पुत्र नरसिंगराम के स्थान पर खुशदेव पुत्र नरसिंगराम कायम अन्दाज तहसीलदार मौजूद इस किया जावे। शेष खाता जस का तस रहे। डिक्री पत्र तैयार होवे है। नकल हेतु तहसीलदार मौजूदी फरीकेन बाद नकल अमल आमद होकर नम्बर से कायम हो।

(कृष्णलाल चौहान)
उप खण्ड अधिकारी
उप खण्ड मौजूदी (भीलवाड़ा)